बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लिमिटेड

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालय:-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

संकल्प सं0 – 282 /

T-III/DP/AO-13202/2024

पटना, दिनांक 28/01/2025/

श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा (E13448), लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ के विरुद्ध घोर कदाचार, जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी चिकित्सा विपत्र की प्रतिपूर्ति हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त कर वित्तीय अनियमितता करने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो के लिए प्रपत्र–'क' में आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप की विवरणी निम्नवत है:–

आरोप संख्या–1. विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बिहारशरीफ के पत्रांक–178 दिनांक–26.02.2024 के आलोक में श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा, लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ से चिकित्सक के परामर्श की पर्ची में Interpolation के आरोप के लिए इस कार्यालय के पत्रांक–692 दिनांक–06.03.2024 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा अपना जबाव; चिकित्सा संबंधी कागजातों की छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराया गया। पुनः इस कार्यालय द्वारा उक्त चिकित्सा संबंधी कागजातों की मूलप्रति की माँग की गयी। छायाप्रति एवं मूलप्रति के अवलोकन एवं जाँच के क्रम में पाया गया कि मूलप्रति एवं छायाप्रति में निम्नांकित भिन्नताएँ है–

- Discharge Summary Report के मूलप्रति में Condition at the time of discharge column में चिकित्सक द्वारा टिप्पणी अंकित है जबकि छायाप्रति के उक्त Column में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है।
- दिनांक–09.03.2024 के चिकित्सक पूर्जा के मूलप्रति के तल में चिकित्सक की टिप्पणी एवं हस्ताक्षर, तारीख और मुहर अंकित है; जबकि पूर्व में उपलब्ध कराये गये छायाप्रति में चिकित्सक का हस्ताक्षर, तारीख और मुहर अंकित नहीं है।
- हॉस्पीटल द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल प्रमाण पत्र में अंकित तिथि (31.03.2024) कटा हुआ है जबकि पूर्व में उपलब्ध कराये गये छायाप्रति में अंकित तिथि (31.03.2024) पूर्णतः स्पष्ट है।
- Discharge Summary Report के मूलप्रति के तल में अंकित तीसरे नंबर के Medicine (iii) के नीचे कोई प्रविष्टि नहीं है जबकि छायाप्रति में उक्त Medicine (iii) के नीचे प्रविष्टि है।
- चिकित्सक के मूल पर्ची के तल में Printed Mobile No. के बाद कोई Medicine का नाम अंकित नहीं है जबकि पूर्व में उपलब्ध कराये गये छायाप्रति पर्ची में अंकित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री सिन्हा द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये चिकित्सा संबंधी कागजात; मूल अभिलेख की छायाप्रति नहीं है अगर वह मूल अभिलेख की छायाप्रति होती तो यह भिन्नताएँ संभव नहीं होती। अर्थात् **श्री सिन्हा द्वारा कागजातों के साथ छेड़–छाड़ की गयी है एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर कार्यालय को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।**

आरोप संख्या–2. श्री सिन्हा द्वारा तन्वी अस्पताल, महिला कॉलेज मोड़ के नजदीक, दल्लुचक, खगौल, पटना– 801105 से चिकित्सीय परामर्श (दिनांक–14.02.2024) प्राप्त करने का उल्लेख किया गया; जो विगत एक–डेढ़ वर्षों से बन्द है। साथ ही, श्री सिन्हा द्वारा तन्वी अस्पताल, नालन्दा बिस्कुट फैक्ट्री के नजदीक, खगौल रोड, फुलवारीशरीफ, पटना–801505 में लम्बी अवधि अर्थात् 19 दिनों तक (दिनांक–23.02.2024 से 12.03.2024) ईलाज कराने का जिक्र है; जहाँ नियमित तौर पर कोई चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं है।

कृ0पृ0उ0

श्री सिन्हा का उक्त कृत्य का उद्वेश्य गलत एवं फर्जी चिकित्सा विपत्र की प्रतिपूर्ति करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त कर वित्तीय अनियमितता करना है।

आरोप संख्या–3. श्री सिन्हा का उक्त आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है एवं यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(I) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–2173; ज्ञापांक–2174 दिनांक–23.08.2024 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत विद्युत कार्यपालक अभियंता, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को जाँच पदाधिकारी एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, ट्रांसमिशन कम्पनी मुख्यलाय, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संबंधी जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर अपने पत्रांक–3045 दिनांक–22.11.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन सभी संबंधित अभिलेखों एवं अपने मंतव्य सहित कार्यालय को समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रपत्र–'क' में गठित 03 आरोपो में से आरोप संख्या– 01 के प्रथम, द्वितीय एवं पंचम भाग तथा आरोप संख्या–2 का प्रथम भाग प्रमाणित एवं आरोप संख्या– 01 का तृतीय एवं चतुर्थ भाग, आरोप संख्या–02 का द्वितीय भाग एवं आरोप संख्या–03 अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

तदोपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखो की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से आंशिक रुप से असहमत होते हुए एवं असहमति के बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रपत्र–क में उल्लेखित प्रमाणित सभी आरोपो के लिए द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत करने का निर्णय लिया गया। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–3187; ज्ञापांक–3188 दिनांक–06.12.2024 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री सिन्हा द्वारा उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब इस कार्यालय को दिनांक–09.01.2025 को समर्पित किया गया।

तदोपरांत उपलब्ध अभिलेख, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित असहमति के बिन्दु के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मूलतः पूर्व में कहे गये कथन का ही दोहराव किया गया एवं बचाव में कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री सिन्हा द्वारा आरोप संख्या–1 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि फोटो कॉपी कराने में हुई मानवीय भूल के कारण अभिलेख की छायाप्रति में भिन्नता है। परन्तु आरोप इसके विपरीत है, अर्थात अभिलेख की छायाप्रति में जो तथ्य अंकित है, वो अभिलेख की मूल प्रति मे नहीं है। ऐसा तभी संभव है यदि अभिलेखों से छेड़–छाड की गयी हो। उपरोक्त तथ्य से आरोप संख्या–1 के चतुर्थ भाग भी प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार आरोप संख्या–1 के चार भाग (तृतीय भाग को छोड़कर) पूर्णतः प्रमाणित होता है। अर्थात श्री सिन्हा द्वारा कागजातों के साथ छेड़–छाड़ की गयी है।

श्री सिन्हा द्वारा आरोप संख्या–2 के प्रथम भाग के संबंध में उल्लेख किया गया है कि अस्पताल बंद होने की सूचना उन्हें विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में प्रेषित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है; जबकि श्री सिन्हा द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब (दिनांक–04.07.2024) में अपना ईलाज महिला कॉलेज मोड़ के नजदीक, दल्लुचक खगौल, पटना–801105 में भी करवाने का उल्लेख किया गया था। स्पष्टतः श्री सिन्हा का जवाब परस्पर विरोधाभासी है। साथ ही, विभाग के द्वारा अस्पताल के कराये गये भौतिक निरीक्षण में भी उक्त अस्पताल के विगत एक–डेढ़ वर्षों से बंद होने का प्रतिवेदन दिया गया एवं जाँच पदाधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गयी है। इस प्रकार आरोप संख्या–2 का प्रथम भाग प्रमाणित होता है।

श्री सिन्हा द्वारा आरोप संख्या–3 के संबंध में पूर्व में कथित कथन का ही दोहराव किया गया है। श्री सिन्हा द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित है कि पूरे सेवावधि में सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ पदीय दायित्वों का निर्वाहन एवं विभागीय नियमों का अनुसरण किया है परन्तु इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। अभिलेखों के साथ छेड़–छाड़, गलतबयानी, न सिर्फ कदाचार की श्रेणी में आता है, बल्कि यह एक पदाधिकारी के पदीय दायित्व/कर्तव्य के भी प्रतिकूल है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब के समीक्षोपरांत, श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रपत्र–क में उल्लेखित आरोप संख्या–1 के चार भाग (तृतीय भाग को छोड़कर) आरोप संख्या–2 का प्रथम भाग एवं आरोप संख्या–3 पूर्णतः प्रमाणित होता है। अर्थात श्री सिन्हा के विरूद्ध कागजातों के साथ छेड़–छाड़ एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर कार्यालय को भ्रमित करने जिसका उद्देश गलत एवं फर्जी चिकित्सा विपत्र की प्रतिपूर्ति करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त कर वित्तीय अनियमितता करना है; पूर्णतः प्रमाणित होता है।

निष्कर्षतः श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा जो लेखा पदाधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है, के द्वारा अभिलेखो के साथ छेड़–छाड़ कर, चिकित्सा के नाम पर फर्जी भुगतान लेने का प्रयास किया गया है; जो गंभीर वित्तीय कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा (E13448),, लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 17 के अंतर्गत नियम 14 में उल्लेखित वृहत शास्ति के रूप में 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा (E13448), लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 17 के अंतर्गत नियम 14 में उल्लेखित निम्न शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

"02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की हस्ताक्षरित प्रति श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा (E13448), लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ को भेज दी जाय।

आदेश से,

28/1/25

(विजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक – 283 / पटना, दिनांक– 28/01/2025 /

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/25

अवर सचिव

ज्ञापांक – 283 / पटना, दिनांक– 28/01/2025 /

प्रतिलिपि– सभी निदेशक/सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/

सभी महाप्रबंधक–सह मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/विधि परामर्शी/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी अद्यीक्षण अभियंता (असैनिक)/सभी उप सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/सभी उप विधि परामर्शी/सभी डी0 बी0 ए0/सभी अवर सचिव/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उप भंडार नियंत्रक/सभी प्रशासी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी एवं श्री मृत्युंजय कुमार सिन्हा (E13448), लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी0 बी0 ए0, संचरण कम्पनी से अनुरोध है कि उक्त आदेश को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

25/11/25

अवर सचिव